

18/11/20


रजिस्टर्ड / जनसूचना  
संख्या-2341 पी0पी0 / 26-75 / 2020

पृष्ठ 2

प्रेषक,

डा० राजीव श्रीवास्तव  
जनसूचना अधिकारी / उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ०प्र०  
807 जवाहरभवन अशोक मार्ग  
लखनऊ।

सेवा में



मद्यनिषेध विभाग

लखनऊ दिनांक 13 नवम्बर 2020

विषय:- जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना दिये जाने के संबंध में।  
महोदय,

आपके पत्र दिनांक 6 नवम्बर 2020 द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गयी बिन्दु 1 से 4 तक की सूचनायें निम्नवत उपलब्ध करायी जा रही है।

- 1- स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा 15 बेड के अस्पताल संचालन हेतु लगभग रू० 2182200 का अनुदान प्रतिवर्ष आनलाइन आवेदन करने पर भारत सरकार द्वारा सीधे स्वीकृत किया जाता है
- 2- भारत सरकार की गाइड लाइन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की वेवसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
- 3- संस्था द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मद्यनिषेध योजना के प्रचार प्रसार हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ०प्र० द्वारा अनुमोदित दलों को उनके द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर विभाग द्वारा किया जाता है।
- 4- किस हेतु आवेदन किया जाना है स्पष्ट नहीं है।

भवदीय

13/11/20

(डा० राजीव श्रीवास्तव)  
जनसूचना अधिकारी /  
उपराज्य मद्यनिषेध अधिकारी  
उत्तर प्रदेश।  
फोन नं०-0522-2286664

12/11/20

12/11/2020